कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज०)

क्रमांक : 321.

दिनांक : 15 जुलाई, 2014.

–:: विज्ञप्ति ::–

बून्दी न्यायक्षेत्र में बून्दी मुख्यालय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तो) संशोधित नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत् आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के रनिंग पे–बेन्ड पी.बी.–1 (5200–20200) ग्रेड–पे 1700 में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक– एफ.11(7) एफ.डी.(रूल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के अन्तर्गत दो वर्ष तक(प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) देय नियत पारिश्रमिक 5400/–रूपये प्रतिमाह देय होगा :–

क्र.सं.	रिक्त पदों की स्थिति				योग
	अनारक्षित	ओ.बी.सी.	एस.सी.	एस.टी.	
1.	05	02	02	01	10

नोट :– आवेदक निर्धारित प्ररूप में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

1– **आयु :–** आवेदक की आयु दिनांक **01.07.2014** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, विधवा/तलाकशुदा महिलाएँ आदि को आयु सीमा में नियमानसार छूट देय होगी।

आयु सीमा में छूट–

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी भी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।

(ख) महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।

(ग) रिजर्व सैनिक अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए ऊपर आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(घ) कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जाएगा और यदि परिणामिक आयु, विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

(ड) ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले से सेवा कर रहा हो जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के सम्बन्ध में कोई निर्बन्धन नहीं होगा।

(च) पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, तांगानिका, युगाण्डा, जंजीबारा से सम्प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(छ) ऊपरी आयु सीमा में ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(ज) ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(झ) विधवाओं, विछिन्न विवाह(तलाकशुदा) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

15/7/2014

स्पष्टीकरणः–

विधवा के मामले उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह(तलाक) के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

2– **शैक्षणिक योग्यता :–** आवेदक को उक्त पद पर आवेदन करने के लिये किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3– **आवेदन–पत्र :–** आवेदक को आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्रानुसार सादे कागज पर सुस्पष्ट लेखन में अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ वांछित एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ संलग्न करनी होगी। आवेदन–पत्र पर अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा और आवेदन–पत्र पर अभ्यर्थी को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन–पत्र के प्ररूप में ही आवेदक को आवेदन करना होगा।

4– **चरित्र :–** आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मूल चरित्र प्रमाण –पत्र संलग्न करने होंगे जो छः माह से अधिक अवधि के नहीं हो तथा जो आवेदक के रिश्तेदार न हों।

5– **राष्ट्रीयता :–** आवेदक भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो या उक्त नियमों के नियम 11 अनुसार अर्हता रखता हो।

6– **शारीरिक योग्यता :–** आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय आवेदक को नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7– **पात्रता :–** शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : 10(3) कार्मिक/क–2/75/पार्ट–II दिनांक 29.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन सं. जनरल/19/मि./1245/2004 अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा तथा पात्रता के सम्बन्ध में नियोक्ता का निर्णय अन्तिम होगा। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन–पत्र अनापत्ति के साथ अग्रेषित करवाकर प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। इस हेतु आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

8– **आवेदन–पत्र की अन्तिम तिथि :–** पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र **दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय समय समाप्ति तक** कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुँच जाना चाहिए। इस विज्ञप्ति से पूर्व एवं अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले/अपूर्ण आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

9– **साक्षात्कार :–** आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके साक्षात्कार की सूची कार्यालय/न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक **18.08.2014** को चस्पा कर दी जावेगी। साक्षात्कार दिनांक **13.09.2014 को प्रातः 09.30 बजे से** कार्यालय/न्यायालय में लिया जायेगा जिसकी सूचना पृथक से किसी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। साक्षात्कार हेतु किसी आवेदक को यात्रा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा। साक्षात्कार के पश्चात् परिणाम की सूचना कार्यालय/न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। आवेदक जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन के साथ संलग्न करें, उनकी मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय साथ लेकर आये।

10— **<u>अंतिम परिणाम:–</u>** साक्षात्कार समाप्त होने के सात दिवस के अन्दर जारी कर दिया जायेगा जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

11— **<u>पेंशन योजना एवं स्थाई पारितोषण:–</u>** राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: एफ–15(7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 के अन्तर्गत् दिनांक 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्ति पाने वाले कर्मचारीगण पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगे तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.12(6) एफ.डी.(रूल्स) 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेन्ड रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नये नियम लागू होंगे।

12— **<u>विवाह पंजीयन :–</u>** राज्य सरकार के परिपत्र संख्या : प.7(3) कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 अनुसार आवेदक को आवेदन–पत्र में विवाहित होने की दशा में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा व आवेदन–पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित करनी होगी। आवेदक जिनका विवाह दिनांक 22.05.2006 या उसके पश्चात् हुआ हो, वे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित हुए आवेदकों को प्ररूप–6 में घोषणा –पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्ररूप–6 आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

13. **<u>संतान संबंधित सूचना</u>** :– जिन आवेदकों के दिनाक 01.06.2002 या इसके पश्चात् तीन या अधिक संतान उत्पन्न हुई हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरूष इस आशय का घोषणा–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करें कि उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् तीन अथवा उसके अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई है। घोषणा–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न है।

14. **<u>नियुक्ति के लिए निरर्हता :–</u>**

1– कोई भी पुरूष अथवा महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

2– कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

3– अभ्यर्थी का किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। इस हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– यदि कोई अभ्यर्थी अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग लाते पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

5– किसी प्रकार की सिफारिश करवाने पर आवेदक को साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

6– कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि सरकार इस बात से सामाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे। कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

<u>स्पष्टीकरण</u>–इस नियम के प्रयोजनार्थ ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो दहेज इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

<u>नोटः</u>– अभ्यर्थी को नियुक्ति के वक्त बिन्दु सं. 06 में वर्णित आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

15 – **<u>अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग</u>**– कोई अभ्यर्थी अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे (क) समिति द्वारा किसी

15/7/2017

साक्षात्कार में उपस्थित होने से एवं (ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थाई तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

16 – **अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक हैं :–**

1– जन्म दिनांक सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति.

2– शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति.

3– दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिये गये मूल चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हों.

4– जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति.

5– विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति अथवा घोषणा–पत्र(प्ररूप–6).

6– संतान सम्बन्धी घोषणा–पत्र.

7– दोष सिद्धि नहीं होने बाबत् शपथ–पत्र.

8– अन्य कोई अभिलेख जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहे ।

संलग्न– आवेदन–पत्र प्ररुप व अन्य।

नोट :– उक्त विज्ञप्ति व प्रारुप आदि इस कार्यालय की वेब साईट www.districtcourts.nic.in/ecourts/Rajasthan/Bundi/Bundi.php पर भी उपलब्ध है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

क्रमांक : नियु./च.श्रे.कर्म./2014/ .... दिनांक : जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर.

2– श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,(सम्पूर्ण राजस्थान).

3– समस्त न्यायालय, बून्दी न्यायक्षेत्र.

4– जिला कलक्टर, बून्दी.

5– जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी.

6– जिला नियोजन अधिकारी, बून्दी.

7– जन सम्पर्क अधिकारी, बून्दी.

8– नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बून्दी.

9– रक्षित पत्रावली।

15/7/014

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

प्ररूप–6

मैं....................................पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..

निवासी ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्री/श्रीमती. ....निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

अथवा

मेरा विवाह श्री/श्रीमती ....निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

अथवा

मैं ....अविवाहित हूँ।

अथवा

मैं..विधुर/विधवा/तलाकशुदा हूँ।

पति/पत्नी/श्रीमती ....।

हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र
(संतान सम्बन्धी)

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी..यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

हस्ताक्षर

दोष सिद्धि नहीं होने का शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....................................

उम्र–........वर्ष जाति ....निवासी..शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं ....सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी अनुसार सह एवं सत्य है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

नवीनतम फोटोग्राफ

01. नाम आवेदक : ....
02. पिता का नाम : ....
03. माता का नाम : ....
04. पति/पत्नी का नाम : ....
05. जन्म तिथि : दिनांक .... माह.......... वर्ष ....
शब्दों में ....
06. जाति : ....

आवेदक जिस वर्ग का सदस्य है उस पर (/) करें–
सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./भू.पू.सै./महिला/विधवा/परित्यक्ता/अन्य

07. वर्तमान पता : ....
....
....
08. स्थाई पता : ....
....
....
09. शैक्षणिक योग्यताएँ :

क्र.सं.	नाम परीक्षा	संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

10. विशेष योग्यता : ....
11. कार्यानुभव : ....
12. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम: ....
13. विवाह की दिनांक : ....
14. जीवित संतानों की संख्या (मय जन्म तिथि) : ....
15. संलग्न अभिलेखों का विवरण :

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

(हस्ताक्षर आवेदक मय दिनांक)